

संख्या- 310 /2026/ 73 /नौ-9-2026-001-ई-1881523

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ, दिनांक: 13 जनवरी, 2026

**विषय:** राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, गोरखपुर के कैम्पस में मल्टीपर्पज हॉल/मिनी आडिटोरियम के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4125/106(4)/SSCM/2020-21, दिनांक- 22.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, गोरखपुर के कैम्पस में मल्टीपर्पज हॉल/मिनी आडिटोरियम के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0) द्वारा अनुमोदित कुल लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) ₹0 3477.33 लाख (रूपये चौतीस करोड़ सतहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 35 प्रतिशत की धनराशि ₹0 1217.06 लाख (रूपये बारह करोड़ सत्रह लाख छः हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गार्डइलाइन्स 2019 के दिशा निर्देशों/शासन के आदेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, गोरखपुर/नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0, 30प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को अंतरित की जायेगी।
- (2) धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) परियोजना की डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भविष्य में कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
- (5) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप नगर निगम/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (6) नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हों।
- (7) परियोजनान्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-05/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक-15.01.2021 के अनुपालन में विद्यालय का निर्माण दिव्यांगजन हेतु हितैषी/बाधा रहित बनाये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा "Harmonized guidelines and standards

for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (8) परियोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बंधित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED) की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुये जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
- (9) परियोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।
- (10) परियोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित-ट्रांसफार्मर, डी0जी0 सेट, लिफ्ट, लैन सिस्टम, सोलर फोटोवोटिक एवं ए0सी0 आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निकाय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (11) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन हेतु रू0 08.00 लाख की धनराशि अनुमन्य किया गया है। निकाय द्वारा विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जायेगा। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में कोई अन्तर आता है, तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी एवं परियोजना के इस कार्य मद में अन्तर हेतु पुनः परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (12) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग संबंधी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है।
- (13) परियोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्य की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (14) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- (15) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जाये।
- (16) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (17) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (18) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (19) संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूब्लिकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

- (20) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 26.11.2024 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में अंकित समस्त बिन्दुओं/अन्य सुझावों का अनुपालन/समावेश करने का दायित्व व्यक्तिगत रूप से नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर का होगा एवं इसका पर्यवेक्षण मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी द्वारा किया जायेगा।
- (21) उक्त परियोजना का तकनीकी परीक्षण/तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का अपव्यय न हो।
- (22) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (23) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (24) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (25) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (26) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो परियोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (27) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (28) निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (29) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1217.06 लाख (रुपये बारह करोड़ सत्रह लाख छः हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-2-X-2025-26-दिनांक: 09-01-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by,  
 SANJAY KUMAR TIWARI  
 Date: 13-01-2026  
 17:09:31 (संजय कुमार तिवारी)  
 अनु सचिव।

संख्या- 3/0 /2026/ 73 /नौ-9-2026-001-ई- 1881523, तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
10. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गोरखपुर।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।